भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या :285

(दिनांक 24.07.2024 को उत्तर के लिए)

आईएएस/आईपीएस/आईआरएस अधिकारी

285. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से संबंधित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय विदेश सेवा (आईआरएस) के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग): भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) में भर्ती, संगत नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के माध्यम से की जाती है। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की भर्ती में अनुसूचित जाति (एससी),अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% की दर से आरक्षण दिया जाता है। गत पांच वर्षों के दौरान सीधी भर्ती के रूप में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की वर्ष-वार और श्रेणी-वार संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	आईएएस			आईपीएस			आईएफएस		
	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी
2018	54	29	14	40	23	09	40	16	08
2019	61	28	14	42	24	09	33	13	07
2020	61	25	13	41	23	10	31	13	06
2021	54	30	13	57	28	14	34	13	07
2022	58	28	14	49	25	20	40	16	08
